मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, झाँसी

पंजीकरण दिनॉक:	निर्णय दिनॉक:	अवधि:
12/12/17	01/05/21	3 वर्ष, 0 माह, 24 दिन

पीठासीनः चंद्रोदय कुमार, एच.जे.एस.

एम.ए.सी.पी. संख्या- ५१४/२०१७

१. श्रीमती गुड्डी कुशवाहा उम्र करीब ३९ वर्ष पत्नी स्व. श्री राम सिंह कुशवाहा
२. राजेन्द्र कुशवाहा उम्र करीब २१ वर्ष पुत्र स्व. श्री राम सिंह कुशवाहा
३. सियाराम कुशवाहा उम्र करीब ६८ वर्ष पुत्र स्व. श्री लुटन
४. श्रीमती खरगी बाई उम्र करीब ६५ वर्ष पत्नी सियाराम
समस्त निवासीगण ग्राम बम्हौरी शीतल थाना टेहरका जिला टीकमगढ़, म. प्र.

-------याचीगण

प्रति

१. पवन कुमार जैन पुत्र श्री शिखर चन्द्र जैन नि. परवारी मार्ग छतरपुर जिला छतरपुर, म. प्र.
.........मालिक ट्रक नं. एम.पी. १७ एच एच २७८७
२. यूनाईटेड इण्डिया इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड शाखा कार्यालय नौगांव जरिये मण्डलीय प्रबन्धक यूनाईटेड इण्डिया इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड इलाहाबाद बैंक के ऊपर, नन्दनपुरा सीपरी बाजार, झाँसी
.........बीमा कम्पनी ट्रक नं. एम.पी. १७ एच एच २७८७
३. भगवान दास पुत्र तुलाराम नि. कस्बा व थाना अलीपुरा जिला छतरपुर म. प्र.
.... चालक ट्रक नं. एम.पी. १७ एच एच २७८७

-------विपक्षीगण

याचीगण के अधिवक्ता- श्री इन्द्रपाल सिंह
विपक्षी सं. १ व ३ के अधिवक्ता- श्री सुधीर कुमार निगम
विपक्षी सं. २ के अधिवक्ता- श्री एस. सी. गुप्ता

निर्णय

प्रस्तुत याचिका याचीगण द्वारा मोटर वाहन दुर्घटना अधिनियम की धारा १६६ व १४० के अन्तर्गत कथित मोटर वाहन दुर्घटना में रामसिंह की मृत्यु के कारण ₹ ३०,००००० क्षतिपूर्ति हेतु विपक्षीगण के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

२. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनाँक २९.११.२०१७ को समय करीब ६:०० बजे शाम याचीगण के पति, पिता व पुत्र राम सिंह मनीराम के साथ मोटर साईकिल नं. यू.पी. ९३ ए डब्लू ९७६९ से बंगरा से घर आ रहा था। मोटर साईकिल को मनीराम धीमी गति से अपनी साईड से चलाता हुआ आ रहा था। जैसे ही मोटर साईकिल ग्राम भिटौरा के पास पहुँची तभी पीछे से ट्रक नं. एम.पी. १७ एच एच २७८७ जिसका चालक उक्त ट्रक को बड़ी तेजी व लापरवाही से बिना हॉर्न बजाये चलाता हुआ आया और अपनी साईड से आ रही मोटर साईकिल में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी जिससे मोटर साईकिल क्षतिग्रस्त हो गयी व राम सिंह एवं मनीराम को गम्भीर चोटें आई। उक्त घटना को मोटर साईकिल के पीछे आ रहे सुरेश व मौके पर मौजूद लोगों ने देखा व सहायता की तथा इलाज के लिए बंगरा सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डाक्टरों ने जाँच उपरान्त राम सिंह को मृत घोषित कर दिया। दुर्घटना के समय राम सिंह की उम्र ४० वर्ष थी वह घर की खेती करता था तथा खाली समय में मजदूरी करता था जिससे उसे ₹ ९,००० प्रतिमाह आय हो जाती थी। उक्त दुर्घटना की रिपोर्ट दिनाँक २९.११.२०१७ को थाना सकरार, झाँसी में ट्रक चालक के विरूद्ध दर्ज करायी गयी।

३. विपक्षी सं. १ पवन कुमार प्रश्नगत ट्रक नं. एम.पी. १७ एच एच २७८७ के पंजीकृत स्वामी की ओर से १३बी जवाबदावा दाखिल कर याचिका के कथनों से इन्कार करते हुये मुख्य रूप से यह कथन किये गये हैं कि उसके उक्त ट्रक का चालक अपने ट्रक को धीमी गति से सावधानी पूर्वक चलाता हुआ जा रहा कि पीछे से उक्त मोटर साईकिल नं. यू.पी. ९३ ए डब्लू ९७६९ का चालक अपनी मोटर साईकिल को तेजी व लापरवाही से बगैर हॉर्न दिये चलाता हुआ आया और आगे जा रहे उक्त ट्रक को ओवर टेक करने के चक्कर में ड्राईवर की दूसरी साईड ट्रक मे स्वयं आकर टकरा गया जिससे वह गिर कर घायल हो गया। उक्ट दुर्घटना में उसके ट्रक चालक की कोई गलती नहीं थी और न ही उसकी गलती से उक्त तथाकथित दुर्घटना घटित हुई। उसके ट्रक का चालक काफी अनुभवी है, जिसके पास वैध व प्रभावी ड्राईविंग लाइसेंस है। विपक्षी का उक्त ट्रक यूनाईटेड इण्डिया इंश्योरेन्स कम्पनी (विपक्षी सं. २) से दुर्घटना की दिनाँक को विधिवत बीमित है। यदि क्षतिपूर्ति अदायगी का दायित्व विपक्षी का पाया जाता है तो उसकी अदायगी की सम्पूर्ण जिम्मेदारी विपक्षी सं. २ बीमा कम्पनी की होगी।

४. विपक्षी सं. २ यूनाईटेड इण्डिया इंश्योरेंस कम्पनी लि. ट्रक नं. एम.पी. १७ एच एच २७८७ की बीमा कम्पनी की ओर से १२बी जवाबदावा दाखिल कर याचिका के कथनों से इन्कार करते हुये मुख्य रूप से यह कथन किये हैं कि यदि प्रश्नगत ट्रक की बीमा पॉलिसी का वास्तविक प्रीमियम अदा किया गया है और बीमा संविदा की सभी शर्तो का पालन किया गया है तभी विपक्षी बीमा कम्पनी के किसी दायित्व का प्रश्न है, अन्यथा नहीं। ट्रक चालक के पास दुर्घटना के समय वैध व प्रभावी ड्राईविंग लाइसेन्स नहीं था इसलिये विपक्षी सं. २ बीमा कम्पनी का क्षतिपूर्ति अदा किये जाने का कोई उत्तरदायित्व नहीं है। विपक्षी बीमा कम्पनी का यह भी कथन है कि मृतक राम सिंह बिना आने-जाने वाले वाहन की परवाह किये हुये लापरवाही व तेजी से मोटर साईकिल चला रहा था और बिना पीछे से आने वाले वाहन को देखे अचानक रोड पर मुड़ा जिस कारण वह हड़बड़ाकर गिरा व अपनी गलती से चुटैल हुआ। ट्रक द्वारा कोई दुर्घटना कारित नहीं की गई है, अल्टरनेटिव मे सह-नेगलीजेन्स का केस है।

५. विपक्षी सं. ३ प्रश्नगत ट्रक नं. एम.पी. १७ एच एच २७८७ के चालक भगवान दास की ओर से जवाबदावा दिनाँकित १९.०४.२०१४ दाखिल कर याचिका के कथनों से इन्कार करते हुये मुख्य रूप से यह

Digitally signed by CHANDRODAY KUMAR
Date: 2021.01.05 15:46:11 IST
Reason: Presiding Officer
Location: Motor Accident Claim Tribunal
Jhansi

कथन किये गये हैं कि प्रश्नगत दुर्घना में उसकी कोई तेजी व लापरवाही नहीं रही है तथा विपक्षी सं. ३ ने विपक्षी सं. १ प्रश्नगत ट्रक के पंजीकृत स्वामी द्वारा अपने जवाबदावे में किये गये कथनों के समान ही कथन किये है।

६. पक्षकारों के अभिवचनों के आधार पर दिनाँक १९.०४.२०१९ को निम्नलिखित वाद बिन्दु विरचित किये गये हैं:-

१. क्या दिनाँक २९.११.२०१७ को समय करीब ६ बजे शाम झाँसी मऊरानीपुर रोड पर ग्राम भिटौरा के पास वहद थाना सकरार, जिला झाँसी में जब मृतक राम सिंह मोटर साईकिल सं. यू.पी. ९३ ए डब्लू ९७६९ को चलाकर अपनी साइड से बंगरा से अपने घर आ रहा था तो पीछे की ओर से आ रहे ट्रक एम.पी. १७ एच एच २७८७ को तेजी व लापरवाही से चलाकर मृतक राम सिंह की मोटर साइकिल में पीछे टक्कर मार दी जिससे आयी चोटों के कारण राम सिंह की मृत्यु हो गयी ?

२. क्या कथित दुर्घटना के दिनाँक को ट्रक सं. एम.पी.१७ एच एच २७८७ के चालक विपक्षी सं. ३ के पास वैध व प्रभावी ड्राईविंग लाइसेन्स था ?

३. क्या कथित दुर्घटना के दिनाँक को ट्रक सं. एम.पी. १७ एच एच २७८७ विपक्षी सं. २ यूनाईटेड इण्डिया इंश्योरेन्स कम्पनी लि.से विधिवत बीमित था ?

४. क्या कथित दुर्घटना मोटर साईकिल सं. यू.पी. ९३ ए डब्लू ९७६९ एवं ट्रक एम.पी. १७ एच एच २७८७ के वाहन चालकों की योगदायी उपेक्षा के कारण घटित हुई है ?

५. क्या याचीगण कोई प्रतिकर धनराशि प्राप्त करने के अधिकारी हैं, यदि हाँ तो कितनी व किस विपक्षी से ?

७. पक्षकारों की ओर से निम्नलिखित अभिलेखीय व मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं:-

याचीगण की ओर से

अभिलेखीय

१. फेहरिस्त ७सी१ के माध्यम से ८सी१/१ लगायत ११सी१ प्रपत्र, जिनमें प्रथम सूचना रिपोर्ट, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट, बीमा पॉलिसी व आधार कार्ड की छाया प्रतियाँ शामिल हैं,

२. फेहरिस्त २०सी१ के माध्यम से २०सी२/१ लगायत २०सी२/१७ प्रपत्र, जिनमें प्रथम सूचना रिपोर्ट, आरोपपत्र, नक्शा नजरी, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट की सत्य प्रतिलिपियाँ व असल आश्रित प्रमाण शामिल हैं,

मौखिक साक्ष्य

पी.डब्लू.१ राजेन्द्र कुशवाहा याची सं. २ मृतक का पुत्र, पी.डब्लू.२ संतराम स्वतन्त्र साक्षी,

विपक्षीगण की ओर से-

अभिलेखीय साक्ष्य

१. विपक्षी सं. १ की ओर से फेहरिस्त १६सी१ के माध्यम से १७सी१/१ लगायत १७सी१/६ प्रपत्र, जिनमें प्रश्नगत ट्रक की बीमा पॉलिसी, फिटनेस प्रमाणपत्र, परमिट, पंजीयन प्रमाणपत्र व भगवान दास के ड्राईविंग लाइसेंस की छाया प्रतियाँ शामिल हैं,

मौखिक साक्ष्य

विपक्षीगण की ओर से कोई मौखिक साक्ष्य दाखिल नहीं की गयी है।

८. मैंने वर्चुअल कोर्ट में उभयपक्ष की ओर से उपस्थित विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी, लिखित बहस का अवलोकन किया एवं पत्रावली का सम्यक् परिशीलन किया तथा उपलब्ध साक्ष्य का मूल्यांकन किया।

९. **निस्तारण वाद बिन्दु सं. १ व ४**

वाद बिन्दु सं. १ व ४ को साबित करने के लिये याचीगण की ओर से २०सी१/१ लगायत २०सी१/३ **प्रथम सूचना रिपोर्ट**, २०सी२/४ लगायत २९सी२/६ **आरोपपत्र,** २०सी२/७ लगायत २०सी२/८ **नक्शा नजरी**, २०सी२/९ लगायत २०सी२/१६ **पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट** की सत्य प्रतिलिपियाँ पत्रावली पर प्रस्तुत की गयी हैं तथा मौखिक साक्ष्य में पी.डब्लू.१ राजेन्द्र कुशवाहा याची सं. २ मृतक का पुत्र व पी.डब्लू.२ संतराम अहिरवार स्वतन्त्र साक्षी को परीक्षित कराया गया है। **पी.डब्लू.१** याची सं. २ मृतक का पुत्र है और वह मौके की साक्षी नहीं है, किन्तु उसने अपनी साक्ष्य में याचिका के कथनों का समर्थन करते हुये साक्ष्य दी है। **पी.डब्लू.२ संतराम अहिरवार** ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि घटना दिनाँक २९.११.२०१७ को समय शाम ६ बजे की है। वह और सुरेश एक मोटर साईकिल से थे और उसके आगे राम सिंह व मनीराम दूसरी मोटर साईकिल से थे। जिस मोटर साईकिल में राम सिंह बैठे थे उसे मनीराम चला रहा था। मनीराम मोटर साईकिल को सावधानी पूर्वक चला रहे थे। जैसे ही वह लोग ग्राम भिटौरा के पास पहुँचे तभी पीछे से ट्रक नं. एम.पी. १७ एच एच २७८७ जिसका चालक उक्त ट्रक को बड़ी तेजी व लापरवाही से चलता हुआ आया और उसे क्रास करके आगे जा रही मोटर साईकिल में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी जिससे मोटर साईकिल टूट गई व राम सिंह व मनीराम को गम्भीर चोटें आईं थी। वे लोग मौके पर उपस्थित लोगों की सहायता से घायलों को इलाज के लिए सरकारी अस्पताल बंगरा ले गय थे, जहाँ डॉक्टरों ने राम सिंह को जांच के बाद मृत घोषित कर दिया था। ट्रक चालक ट्रक को घटना स्थल पर छोड़कर मौके से भाग गया था। दुर्घटना ट्रक चालक की गलती से हुई थी।

१०. **नक्शा नजरी** की सत्य प्रतिलिपि भी उक्त दुर्घटना के संबंध में बनाया गया है जो निम्न हैः-

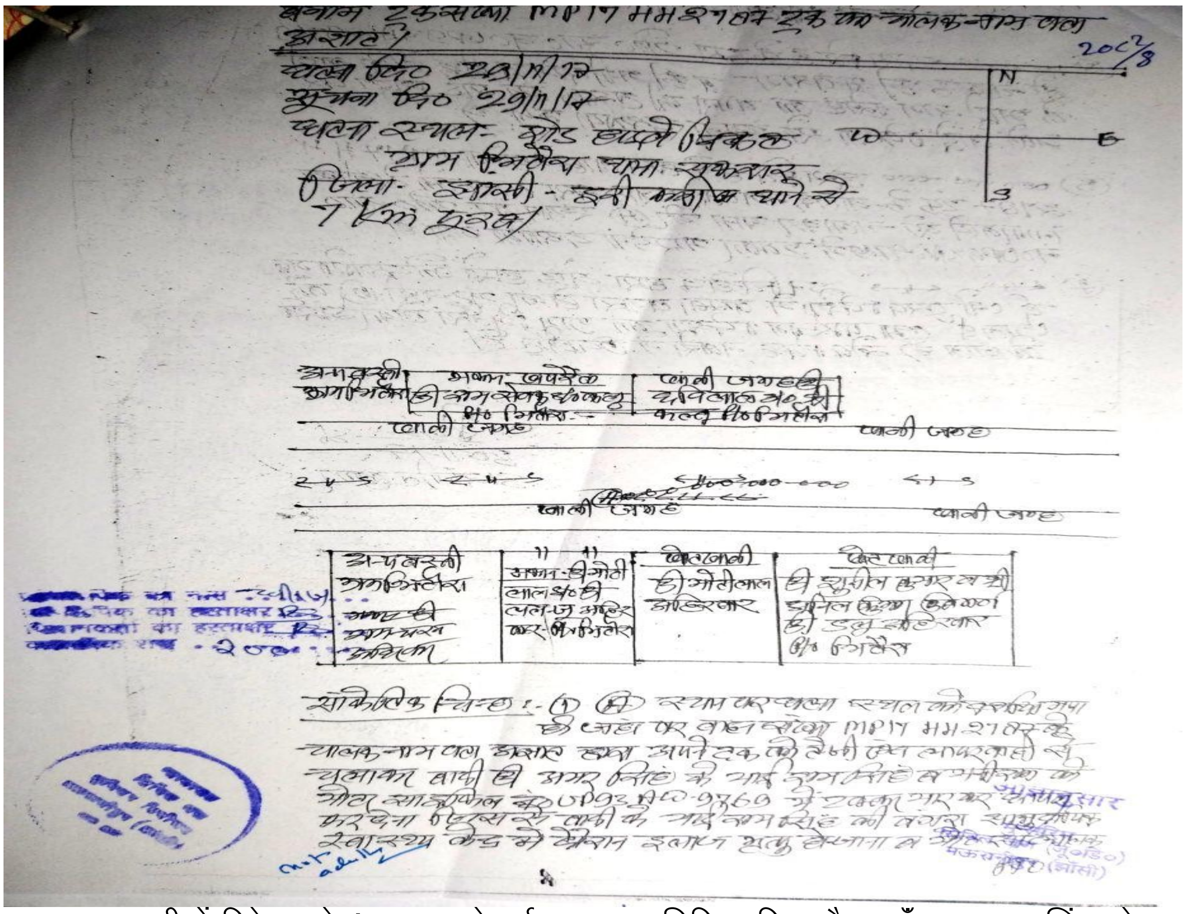

उक्त नक्शा नजरी में विवेचक ने A स्थान को दुर्घटना स्थल चिहिन्त किया है, जहाँ मृतक राम सिंह को टक्कर मारी गयी। बीमा कम्पनी के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क गलत है कि पी.डब्लू.२ चौहददी नही बता पाया है। प्रतिपरीक्षा मे इसने स्पष्ट कहा है कि पूरब-पश्चिम रोड है, उत्तर मे गांव भिटौरा है, दक्षिण मे मोती अहिरवार का मकान है। चूँकि चौहददी सही बताई गई है अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि यह साक्षी दुर्घटना स्थल पर मौजूद था। यह आवश्यक नही कि चक्षुदर्शी ही रिपोर्ट पंजीकृत कराये। सामान्यतः रिपोर्ट घरवालों द्वारा ही पंजीकृत करायी जाती है। यह साक्षी आरोप पत्र मे भी चक्षुदर्शी के रूप मे दर्शाया गया है। इस साक्षी ने बताया है कि मृतक उसके गाँव के चाचा लगते है। मात्र इसी बात से यह साक्षी हितबद्ध नही हो जाता है। यह साक्षी दुर्घटना का सही समय बता रहा है, ५०-६० फीट की दूरी पर साथ मे चलना बता रहा है। इसके चक्षुदर्शी होने मे कोई संदेह नही है। यह साक्षी माथे व अन्य स्थानों पर चोट लगना बताता है जिसका समर्थन पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से होता है। पी.डब्लू.२ की प्रतिपरीक्षा में ऐसा कोई तात्विक विसंगति नहीं है जिससे कि उसके साक्ष्य पर अविश्वास किया जा सके।

११. पत्रावली पर दाखिल **प्रथम सूचना रिपोर्ट** की प्रमाणित प्रति के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत दुघर्टना के प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट मृतक के भाई अमर सिंह द्वारा दिनाँक २९.११.२०१७ सायं ६:०० बजे की दुर्घटना की रिपोर्ट दिनाँक २९.११.२०१७ को ही २०:५० बजे थाना सकरार, झाँसी में प्रश्नगत ट्रक सं. एम.पी. १७ एच एच २७८७ के चालक अज्ञात के विरूद्ध दर्ज कराई गयी है। **आरोप पत्र** की सत्य प्रतिलिपि के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत प्रकरण की उपरोक्त घटना में विवेचक ने भगवान दास (विपक्षी सं.३) प्रश्नगत ट्रक सं. एम.पी. १७ एच एच २७८७ के चालक के ही विरूद्ध धारा २७९, ३३७, ३३८, ३०४ए व ४२७ भा.दं.सं. के अन्तर्गत आरोपपत्र दाखिल किया है।

१२. **पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट** की सत्य प्रतिलिपि में दिनाँक ३०.११.२०१७ को २:३० पी. एम. पर संबंधित चिकित्सक द्वारा मृतक का पोस्टमॉर्टम किया जाना अंकित किया है तथा चिकित्सक द्वारा मृतक की मृत्यु लगभग एक दिन पूर्व होना संम्भावित बताया है तथा मृतक की मृत्यु का कारण पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में एन्टी मॉर्टम इंजरी के कारण शॉक व हेमरेज आने से दर्शित किया है। मृतक की मृत्यु होने के पश्चात मृतक का पोस्टमॉर्टम दिनाँक २३.०७.२०१७ को होना साक्ष्य में आया है।

१३. सह-नेगलीजेन्स के संबंध मे विपक्षी सं. १ व २ व विपक्षी सं. ३ बीमा कम्पनी ने अपने-अपने कथनों के समर्थन में कोई अभिलेखीय अथवा मौखिक साक्ष्य दाखिल नहीं की गई है और न ही विपक्षी बीमा कम्पनी ने किसी अन्वेषक की आख्या उक्त सम्बन्ध में पत्रावली पर दाखिल कराई गई है। पी.डब्लू.२ ने रोड चौड़ी होना बताया है व यह भी कहा है कि दो गाड़ी निकल सकती है। ऐसे मे ट्रक चालक को सावधानी से ओवर टेक करना चाहिए। वैसे तो यह मामला ट्रिपलिंग का नही है क्योंकि पी.डब्लू.२ ने स्वयं को सुरेश के साथ दूसरी मोटर साइकिल पर होना कहा है किंतु तर्क के लिए यदि एक क्षण को यह मान भी लिया जाय कि सुरेश दुर्धटनाग्रस्त मोटर साइकिल पर मनीराम व मृतक के साथ था क्योंकि बीमा कम्पनी के विद्वान अधिवक्ता ने इस संबंध मे अपने तर्क को इस बात पर आधारित किया है कि प्रतिपरीक्षा मे यह कहा है कि मनीराम मोटर साइकिल को चला रहे थेए उनके साथ और कोई नही था, स्वयं कही कि सुरेश साथ थे तो भी बीमा कम्पनी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत विधि व्यवस्था 2003 (2) T.A.C. 103 (Mad.) जिसमे मा. मद्रास उच्च न्यायालय ने यह अवधारित किया है कि पिलियन राइडर के असामान्य रूप से हिलने डुलने से हुई दुर्घटना मे उसकी योगदायी उपेक्षा है किंतु इसके अलग मा. मद्रास उच्च न्यायालय ने विधि व्यवस्था Kattabomman Transport Corporation Limited and Ors. vs. Vellai Duraichi and Ors. (30.01.2004 - MADHC) : MANU/TN/0023/2004 मे यह भी अवधारित किया है कि जब तक वाहन या बीमा कंपनी का मालिक यह साबित करने में सक्षम नहीं होता है कि दुर्घटना केवल इस तरह की

कार्रवाई के कारण हुई है कि निर्धारित संख्या से अधिक व्यक्ति ले जाए जा रहे है, मालिक/बीमा कंपनी मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी होगी। विधि व्यवस्था D. Vasheeda and Ors. vs. V. Babakka and Ors. (16.08.2012 - APHC) : MANU/AP/0736/2012 मे भी यह अवधारित किया गया है कि मामले में, बीमाकर्ता द्वारा कोई सबूत प्रस्तुत नहीं किया गया था कि मोटरसाइकिल की ट्रिपल सवारी के कारण दुर्घटना हुई थी। किसी भी सबूत के अभाव में, यह माना या अनुमान नहीं लगाया जा सकता था कि दुर्घटना मोटरसाइकिल पर ट्रिपल सवारी की वजह से हुई थी। प्रस्तुत मामले मे भी पिलियन राइडर के असामान्य रूप से हिलने डुलने से हुई दुर्घटना होने का कोई साक्ष्य नही है। प्रस्तुत मामले मे तो इस बात का भी कोई ठोस प्रमाण नही है कि ट्रिपलिंग हो रही थी। बीमा कम्पनी के विद्वान अधिवक्ता ने विधि व्यवस्था 2018 (3) T.A.C. 536 (All.) प्रस्तुत कर तर्क रखा है कि यह मामला अंशदायी उपेक्षा का है। मैं बीमा कम्पनी के विद्वान अधिवक्ता के इस तर्क से सहमत नही हूँ। वह मामला आमने सामने की टक्कर का था जबकि यह मामला पीछे से टक्कर मारने का है। चूँकि मृतक पिलियन राइडर था अतः याची दोनो वाहनों के स्वामी चालक मे से किसी से भी प्रतिकर प्राप्त कर सकता है।

१४. उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर मैं इस निष्कर्ष का हूँ कि दिनाँक २९.११.२०१७ को समय करीब ६ बजे शाम झाँसी मऊरानीपुर रोड पर ग्राम भिटौरा के पास वहद थाना सकरार, जिला झाँसी में जब राम सिंह मोटर साईकिल सं. यू.पी. ९३ ए डब्लू ९७६९ को चलाकर अपनी साइड से बंगरा से अपने घर आ रहा था तो पीछे की ओर से आ रहे ट्रक सं. एम.पी.१७ एच एच २७८७ को तेजी व लापरवाही से चलाकर राम सिंह की मोटर साइकिल में पीछे से टक्कर मार दी जिससे आयी चोटों के कारण राम सिंह की मृत्यु हो गयी और कथित दुर्घटना मोटर साईकिल सं. यू.पी. ९३ ए डब्लू ९७६९ एवं ट्रक एम.पी.१७ एच एच २७८७ के वाहन चालकों की योगदायी उपेक्षा के कारण घटित नहीं हुई है। तदनुसार वाद बिन्दु सं. १ व ४ याचीगण के पक्ष में सकारात्मक रूप से निर्णीत किये जाते है।

१५. <u>निस्तारण वाद बिन्दु संख्या २</u>

इस वाद बिन्दु के सम्बन्ध मे विपक्षी सं. १ की ओर से पत्रावली पर प्रपत्र सं. १७सी२/६ ट्रक सं. एम.पी. १७ एच एच २७८७ के चालक भगवानदास की चालन अनुज्ञप्ति की छाया प्रति प्रस्तुत की गयी है, जिसके अनुसार चालक दिनाँक २६.१०.२०१७ से २५.१०.२०२० तक ट्रान्सपोर्ट वाहन चलाने के लिए अनुज्ञप्त है। इस अनुज्ञप्ति का खंडन विपक्षी सं. २ बीमा कम्पनी द्वारा नही किया जा सका है। घटना दिनाँक २९.११.२०१७ की है। आरोप पत्र विपक्षी सं. ३ चालक भगवान दास के विरुद्ध प्रस्तुत हुआ है। इस प्रकार स्पष्ट है कि कथित दुर्घटना के दिनाँक को ट्रक सं. एम.पी. १७ एच एच २७८७ के चालक विपक्षी सं. ३ के पास वैध व प्रभावी ड्राईविंग लाइसेन्स था। तनुसार **वाद बिन्दु सं. २** सकारात्मक रूप से निर्णीत किया जाता है।

१६. <u>निस्तारण वाद बिन्दु संख्या ३</u>

इस वाद बिन्दु के सम्बन्ध मे विपक्षी सं. १ की ओर से पत्रावली पर प्रपत्र सं. १७सी२/१ लगायत १७सी१/२ व याचीगण की ओर से पपत्र सं. १०सी१/१ लगायत १०सी१/२ बीमा पॉलिसी की छाया प्रतियाँ प्रस्तुत की गयीं हैं, जिनके अनुसार प्रश्नगत ट्रक सं. एम.पी.१७ एच एच २७८७ का बीमा दिनाँक १०.०९.२०१७ से ०९.०९.२०१८ तक वैध एवं प्रभावी है। इसके अतिरिक्त विपक्षी सं. १ की ओर से प्रश्नगत १७सी२/३ प्रश्नगत ट्रक के फिटनेस प्रमाणपत्र, १७सी२/४ परमिट, १७ सी२/५ पंजीयन प्रमाण पत्र की छाया प्रतियाँ भी दाखिल की गई हैं। उक्त बीमा पॉलिसी, फिटनेस प्रमाणपत्र, परमिट व पंजीयन प्रमाणपत्र का खंडन विपक्षी सं. २ बीमा कम्पनी द्वारा नही किया गया है। घटना दिनाँक २९.११.२०१७ की है। इस प्रकार स्पष्ट है कि कथित दुर्घटना के दिनाँक को ट्रक सं. एम.पी.१७ एच एच २७८७ विपक्षी सं. २ यूनाईटेड इण्डिया इंश्योरेन्स कम्पनी लि. से विधिवत बीमित था। तदनुसार **वाद बिन्दु सं. ३** सकारात्मक रूप से निर्णीत किया जाता है।

१७. <u>निस्तारण वाद बिन्दु संख्या ५</u>

चूँकि वाद बिन्दु सं. १ व ४ के निस्तारण से यह साबित है कि दुर्घटना ट्रक सं. एम.पी. १७ एच एच २७८७ के चालक की तेजी व लापरवाही से ट्रक को चलाने से हुई है और दुर्घटना में याची सं. १ व २ के क्रमशः पति, पिता व याची सं. ३ व ४ के पुत्र की मृत्यु हुयी है। याचीगण ने याचिका में कथन किया है कि मृतक की आय से परिवार का भरण पोषण होता था। पी.डब्लू.१ के रूप में याची सं. २ राजेन्द्र कुशवाहा ने यह साक्ष्य दी है कि उसके पिता खेती व मजदूरी करते थे जिससे उन्हें ₹ ९,००० माहवार की आय हो जाती थी, उन्हीं की आमदनी से घर का खर्चा चलता था। उक्त कथन के समर्थन में याचीगण की ओर से २०सी२/१७ सरपंच ग्राम पंचायत गुआवली, जनपद पंचायत निवाड़ी जिला टीकमगढ़, म.प्र. द्वारा जारी मृतक राम सिंह का आश्रित प्रमाणपत्र पत्रावली पर दाखिल किया गया है, जिसमें याचीगण को राम सिंह पर आश्रित होना दर्शित है। यद्यपि यह प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त नहीं है। किन्तु यह स्वाभाविक है कि मृतक की आय से याचीगण का भरण-पोषण होता था। चूँकि क्षतिपूर्ति का निर्धारण मृत्यु के समय पर किया जाता है अतः इस बात से कोई फर्क नही पडता कि याची के पुत्र ने पैत्रक कृषि भूमि पर खेती प्रारंभ कर दी और विवाह कर लिया और मजदूरी करने लगा। ऐसा भी नही माना जा सकता कि ६५ व ६८ वर्ष के बूढ़े माता पिता पुत्र पर निर्भर न होकर खेती व मजदूरी करने मे सक्षम थे। अतः माता पिता व पुत्र की अनिर्भरता का बीमा कम्पनी का तर्क स्वीकार्य योग्य नही है। याचीगण क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के अधिकारी हैं। अब प्रश्न यह है कि याचीगण किस विपक्षी से और कितनी कितनी क्षतिपूर्ति धनराशि प्राप्त करने के अधिकारी है? चूँकि वाद बिन्दु सं. १, ४, २ व ३ सकारात्मक रूप से निर्णीत किये गये हैं अतः क्षतिपूर्ति का दायित्व विपक्षी सं.२ यूनाईटेड इण्डिया इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड का है।

१८. <u>क्षतिपूर्ति की गणना-</u>

पी.डब्लू.१ जो कि हितबद्ध साक्षी है, ने मृतक की आय खेती व मजदूरी करने से ₹ ९,००० प्रति माह बताई है किंतु याचीगण ने इस सम्बन्ध में कोई किसान बही व मजदूरी से प्राप्त आय के संबंध में कोई अभिलेखीय साक्ष्य दाखिल नही की गई है जिससे यह साबित नहीं माना जा सकता है कि मृतक को उक्त आय/आमदनी होती थी। अतः उपरोक्त परिस्थितियों में यह उपधारित किया जाना न्यायोचित नहीं होगा की मृतक की आय ₹ ९,००० मासिक थी। इन परिस्थितियों में नोशनल आय को संज्ञान में लेना ही न्यायोचित होगा। विधि

व्यवस्था Laxmi Devi and Ors. vs. Mohammad Tabbar and Ors. (25.03.2008 - SC) : MANU/SC/7368/2008 मे माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अकुशल मजदूर के लिए १२ वर्ष पूर्व ₹ १०० प्रति दिन की मजदूरी उचित मानी है। विधि व्यवस्था Chandrawati vs. Shushil Kumar and Ors. (01.08.2018 – ALLHC) : MANU/UP/2954/2018 मे माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा अकुशल मजदूर के लिए ₹ २०० प्रति दिन की मजदूरी उचित मानी है। उल्लेखनीय है कि भारत मे असंगठित क्षेत्र के कार्मिक को पूरे वर्ष रोजगार नही मिलता है। वास्तव में कल्पित आय एक अनुमान है जो काल, स्थान व परिस्थितयों पर आधारित होता है। माह मे औसतन चार दिन कार्य न लग पाने की संभावना रहती है। इस प्रकार कल्पित आय (Notional Income) ₹ १६५ निर्धारित की जाती है।

15. याचीगण ने याचिका में मृतक राम सिंह की उम्र ४० वर्ष अंकित की है। पी.डब्लू.१ के रूप में याची सं. २ ने भी मृतक अपने पिता की उम्र दुर्घटना के समय ४० वर्ष होना बताई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतक की उम्र लगभग ४० वर्ष अंकित है। उक्त के खंडन मे कोई साक्ष्य नही है। अतः मैं इस निष्कर्ष का हूँ की मृतक की आयु ४० वर्ष थी। विधि व्यवस्था National Insurance Company Limited vs. Pranay Sethi and Ors. (31.10.2017 - SC) : MANU/SC/1366/2017 के अनुसार १५ का गुणक, ४०-५० वर्ष आयु वर्ग के लिए २५% भविष्य मे प्रत्याशा की वृद्धि, स्वयं के खर्च पर १/४ भाग की कटौती, याचीगण के पति, पुत्र व पुत्र की मृत्यु के दृष्टिगत संपदा की क्षति के लिए ₹ १५,००० याचीगण की आर्थिक स्थति के दृष्टिगत दाह संस्कार के लिए ₹ १५,०००, वैवाहिक सहचर्य की क्षति के लिए ₹ ४०,००० निर्धारित किये जाते हैं।

वार्षिक आय= आय प्रतिदिन x माह के दिन x वर्ष के माह	165	30	12	59400
भविष्य प्रत्याशा (प्रतिशत में)			25	14850
स्वयं पर खर्च (भाग में)			4	18562.5
स्वयं पर खर्च घटाने पर (गुण्य)				55687.5
गुणक			15	835312.5
वैवाहिक साहचर्य की क्षति			40000	875312.5
संपदा की क्षति			15000	890312.5
अंतिम संस्कार पर खर्च			15000	905312.5
देय क्षतिपूर्ति				905312.5

इस प्रकार क्षतिपूर्ति की कुल धनराशि ₹ **९,०५,३१३** आती है। विधि व्यवस्था National Insurance Company Ltd. vs. Mannat Johal and Ors. (23.04.2019 - SC) : MANU/SC/0589/2019 के आलोक मे ७.५% साधारण वार्षिक ब्याज, याचिका प्रस्तुत करने की तिथि से वसूली की तिथि तक, स्वीकार किया जाना न्यायोचित होगा। चूँकि पी.डब्लू.१ ने अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि इस समय उसके परिवार में वह, उसकी माँ गुड्डी, दादा सियाराम व दादी खरगीबाई हैं। उसके पिता की मृत्यु हो जाने के बाद उसे सभी प्रकार की परेशानी हो गई है। उसकी माँ बीमार रहने लगी है। अतः मामले की परिस्थितयों को दृष्टिगत रखते हुये याची सं. १ लगायत ४ के मध्य क्षतिपूर्ति की धनराशि का क्रमश: ५०, १५, १५, व २० प्रतिशत भाग का बंटवारा न्यायोचित होगा। विधि व्यवस्था **M.R. Krishna Murthi vs. The New India Assurance Co. Ltd. and Ors. (05.03.2019 - SC) : MANU/SC/0321/2019** के आलोक मे क्षतिपूर्ति धनराशि की वार्षिकी की योजना बनाया जाना न्यायोचित होगा। तदनुसार यह वाद बिंदु निर्णीत किया जाता है।

आदेश

याचीगण की याचिका विपक्षी सं. २ यूनाईटेड इण्डिया इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड के विरुद्ध क्षतिपूर्ति धनराशि ₹ **९,०५,३१३ (नौ लाख पाँच हजार तीन सौ तेरह)** मय ७.५% साधारण वार्षिक ब्याज, याचिका प्रस्तुत करने की तिथि से वसूली की तिथि तक, के लिए आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। विपक्षी संख्या २ यूनाईटेड इण्डिया इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड को आदेशित किया जाता है कि वह याचीगण को निर्णय के दिनाँक से ३० दिन के अंदर क्षतिपूर्ति की धनराशि का भुगतान मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, झाँसी के पंजाब नेशनल बैंक के खाता सं. 3671000101192489 IFSC- PUNB0367100 में आर.टी.जी.एस./नेफ्ट के माध्यम से कर दें। धनराशि अन्तरण में याचिका संख्या, नाम बनाम का उल्लेख किया जाएगा तथा ट्रांजैक्शन नं. मय याचिका संख्या व नाम बनाम की सूचना न्यायाधिकरण को ईमेल po-mact.jh@up.gov.in पर भेजी जाएगी। ईमेल पर सूचना भेजने मे चूक पर बीमा कम्पनी द्वारा सूचना मे विलंब की अवधि पर १२% ब्याज देय होगा। याची सं. १ लगायत ४ क्षतिपूर्ति की धनराशि का क्रमश: ५०, १५, १५, २० प्रतिशत भाग प्राप्त करेगें तथा याचीगण का प्राप्त होने वाली धनराशि में से ७५% धनराशि की किसी राष्ट्रीयकृत बैंक मे ५-५ वर्ष के लिए वार्षिकी बनाई जाएगी। शेष धनराशि वे अपने-अपने बैंक खातों में RTGS/NEFT के माध्यम से नगद प्रप्त कर सकेंगे। तदनुसार एवार्ड तैयार हो।

दिनाँक ०५.०१.२०२१

(चंद्रोदय कुमार)
मोटर दुर्घटना प्रतिकर न्यायाधिकरण
झाँसी

यह निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवम् दिनाँकित कर खुले न्यायालय मे उदघोषित किया गया।

दिनाँक ०५.०१.२०२१

(चंद्रोदय कुमार)
मोटर दुर्घटना प्रतिकर न्यायाधिकरण
झाँसी